



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268548
CG-DL-E-16122025-268548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/ अग्रहायण 24, 1947

No. 808]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/ AGRAHAYANA 24, 1947

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. पीएफआरडीए/16/14/06/0009/2018-आरईजी-एग्जिट.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) और (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामतः :-

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), के विनियम 1 में,

(क) उप-विनियम (1) के अंतर्गत अनुच्छेद में, "और उसके पश्चात वार्षिकी का क्रय करेगा " शब्दों को हटा दिया

जाएगा।

(ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् : -

"(1क) ये विनियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन योजनाओं से निकास और प्रत्याहरण पर लागू होंगे।"

4. मुख्य विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ख) में, "स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन विनिधानों" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित होने वाले विनिधानों" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (ग) को हटा दिया जाएगा।

(ग) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड अन्तर्विष्ट किया जाएगा : -

"(चक) 'स्थगित' या 'स्थगन' अर्थात् किसी अभिदाता द्वारा एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण या वार्षिकी क्रय करने का स्थगन;

(घ) खंड (झ) को हटा दिया जाएगा।

(ङ) खंड (ट) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "निकास" का अर्थ निम्नलिखित होगा:

(1) निम्नलिखित में से किसी भी मामलों में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत किसी अभिदाता द्वारा अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करने या पेंशन योजना से निकास के लिए चयन का प्रयोग:

(i) रोजगार की शर्तों के अनुसार अधिशेष या रोजगार से सेवानिवृत्त होने पर या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, या उसके बाद किसी भी समय,

(ii) कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए पेंशन योजना की सदस्यता लेने या ऐसी योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अन्य उच्च अवधि के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार के रोजगार के कारण सदस्यता लेने वाली योजना पर लागू नहीं होगा, या

(iii) इन विनियमों के अनुसार किसी अभिदाता द्वारा किसी खाते को समय से पहले समापन करना या पेंशन योजना से निकास पर, ऊपर उल्लिखित मामलों के अलावा।

(2) अभिदाता की मृत्यु होने पर या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत अभिदाता के लापता होने और मृत माने जाने की स्थिति में, व्यक्तिगत पेंशन खाते का समापन करना।

बशर्ते कि, जहां एक अभिदाता के पास एक से अधिक व्यक्तिगत पेंशन खाते हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत पेंशन खाते का निकास और समापन अलग-अलग होगा और इन विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(च) खंड (ठ) को हटा दिया जाएगा।

(छ) खंड (ड) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(ड)"गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाता" अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के अभिदाता के अलावा कोई अन्य अभिदाता;

(ढ) सर्व नागरिक मॉडल अभिदाता से अभिप्रेत है, ऐसा कोई अभिदाता जिसने स्वेच्छा से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली हो और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरणके साथ इस रूप में पंजीकृत हो;

(ण) कारपोरेट क्षेत्र के अभिदाता से अभिप्रेत है, ऐसा कोई गैर-सरकारी क्षेत्र का अभिदाता जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली हो और केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी के साथ इस रूप में पंजीकृत हो;

(त) "पेंशन योजना" अधिनियम की धारा 20 के तहत पेंशन निधि की किसी योजना से अभिप्रेत है और इसमें शामिल होंगे:

- (i) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए लागू सामान्य योजना(एं), जैसा भी मामला हो;
- (ii) बहु-योजना ढांचे के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना(एं);
- (iii) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई अन्य योजना(एं)।

स्पष्टीकरण: "सामान्य योजना" अर्थात् बहु-योजना ढांचे के अंतर्गत शामिल योजनाओं के अलावा पेंशन निधि की एक योजना;"

5. मुख्य विनियमों में, अध्याय 2 में, शीर्षक के बाद अनुच्छेद के लिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के प्रयोजनों के लिए अभिदाताओं को (1) सरकारी क्षेत्र, (2) गैर-सरकारी क्षेत्र और (3) एनपीएस-लाइट और स्वावलंबन के रूप में प्रवर्गीकृत और परिभाषित किया गया है। तदनुसार इसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियम उस प्रवर्ग पर लागू होंगे जिससे वह अभिदाता संबंधित हैं।"

6. मुख्य विनियमों में, विनियम 3 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"3. सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास.- (1) सरकारी क्षेत्र का अभिदाता:

(क) लागू सेवा नियमों द्वारा यथा विहित सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पचासी वर्ष की आयु तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक बना रहेगा जब तक कि निकास का विकल्प नहीं लिया जाता है, जिसके बाद संचित पेंशन धन का कम से कम चालीस प्रतिशत मासिक या किसी अन्य आवधिक पेंशन के रूप में प्रदान करते हुए, डिफॉल्ट वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जैसा कि अभिदाता द्वारा चुना गया है, और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद जहां संचित पेंशन धन:

(i) आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा;

(ii) आठ लाख रुपए से अधिक है लेकिन बारह लाख रुपए से कम है, तो अभिदाता के पास एकमुश्त अधिकतम छह लाख रुपए की राशि या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का उपयोग आवधिक भुगतान के रूप में कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, कोई अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके पचासी वर्ष की आयु तक वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर सकता है और ऐसी अवधि के दौरान अभिदाता के पास किसी भी समय निकास का विकल्प उपलब्ध होगा।

बशर्ते कि, जहां कोई अभिदाता, वार्षिकी क्रय करने को स्थगित कर देता है, ऐसी वार्षिकी खरीद से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डिफॉल्ट वार्षिकी अनिवार्य रूप से, कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा डिफॉल्ट वार्षिकी के लिए निर्दिष्ट अनुक्रम में क्रय की जाएगी।

परन्तु यह भी कि जहां कोई अभिदाता एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर देता है, ऐसी एकमुश्त प्रत्याहरण से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उक्त राशि का भुगतान नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा,।

(ख) सेवा से त्यागपत्र देने की अनुमति दिए जाने पर या सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन के आदेश जारी किए जाने पर, वह स्वेच्छा से अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर सकता है, जिसके बाद संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी डिफॉल्ट वार्षिकी या किसी अन्य वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन पांच लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सीमा है, तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा।

(ग) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले, मृत हो जाता है, तो अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से डिफॉल्ट वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार, ऐसे अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद जहां संचित पेंशन धन:

(i) आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा;

(ii) आठ लाख रुपए से अधिक है, लेकिन बारह लाख रुपए से कम है, तो नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, के पास अधिकतम एकमुश्त छह लाख रुपए की राशि या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का उपयोग आवधिक भुगतान के रूप में कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) जहां नियोक्ता प्रमाणित करता है कि अभिदाता अपने सम्बंधित कार्यालय की सेवाओं से निःशक्तता या शारीरिक विकलांगता के कारण या लागू सेवा नियमों के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है, वह उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट पद्धति से निकास करेगा।

बशर्ते कि, केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निर्दिष्ट पद्धति से निकास करना होगा, यदि अभिदाता को सीसीएस एनपीएस नियम, 2021 के तहत निर्धारित निम्नलिखित में से किसी भी आधारों पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है:

- i) बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति।
- ii) मूल नियमों के नियम 56 या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्ति पर हितलाभा।
- iii) अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी।
- iv) निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किये जाने पर पात्रता।
- v) यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नए संगठन में मौजूद नहीं है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या वित्तपोषित निगम या कंपनी या निकायों में आमेलन पर फायदे।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए -

(i) डिफॉल्ट वार्षिकी में अभिदाता और उसके पति या पत्नी (यदि कोई हो), वार्षिकी की क्रय मूल्य की वापसी का प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी का प्रावधान होगा, और ऐसे अभिदाता और उसके पति या पत्नी की मृत्यु पर, यहां विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक कुटुम्ब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में आच्छादित न हो जाएँ) कुटुम्ब के सदस्यों को वार्षिकी अनुबंध के तहत वापस किये गए अपेक्षित क्रय मूल्य का उपयोग करके, ऐसी वार्षिकी क्रय करने के समय प्रचलित प्रीमियम की दर पर पुनः जारी की जाएगी: -

(क) मृत अभिदाता की मां;

(ख) मृत अभिदाता के पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सदस्यों के आच्छादन के पश्चात्, ऐसी क्रय कीमत या राशि जो कि वार्षिकी क्रय करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों के न होने पर, अभिदाता के अन्य विधिक वारिस(सों) को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दी जाएगी।

किसी भी कारण से इस तरह की डिफॉल्ट वार्षिकी की अनुपलब्धता के मामले में, या जहां अभिदाता, नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी लागू हो, डिफॉल्ट वार्षिकी नहीं लेने का विकल्प चुनता है, ऐसे अभिदाता, नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) को प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए तत्कालीन वार्षिकी विकल्पों में से, अपनी पसंद की ऐसी वार्षिकी क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करना होगा;

डिफॉल्ट वार्षिकी के संबंध में प्रदान की गई छूट, व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या ऐसे अन्य विकल्पों के रूप में प्राप्त किसी भी आवधिक भुगतान के मामले में भी लागू होगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) ऐसे अभिदाता के संबंध में, जो सरकारी क्षेत्र से सेवानिवृत्त या अधिवर्षित हो गया है और सर्व नागरिक मॉडल या कारपोरेट क्षेत्र सहित किसी भी पद्धति से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है, उसका निकास विनियम 3 द्वारा शासित होगा।

(iii) जहां अभिदाता सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का प्रत्याहरण जारी रखता है या उन्हें स्थगित करता है, वहां व्यक्तिगत पेंशन खाते के संबंध में देय व्यय, अनुरक्षण प्रभार और शुल्क, अभिदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) इस विनियम के अंतर्गत निकास पर उपलब्ध लाभ अनुसूची-1 की तालिका-1 के अंतर्गत सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किए गए हैं।

7. मुख्य विनियमों में, विनियम 4 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"4. गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास.- (1) एक गैर-सरकारी क्षेत्र का अभिदाता पचासी वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रणाली में बना रहेगा जब तक कि यहां विनिर्दिष्ट पद्धति से निकास के विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात्: -

(क) जहां कोई अभिदाता ऐसी योजना के उपबंधों के अनुसार कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि या अन्य उच्च अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता लेने पर या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर; या ऐसे अभिदाता के रोजगार के आधार पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर, निकास का विकल्प चुनता है, तब ऐसे अभिदाता की संचित पेंशन धन का कम से कम बीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से मासिक या किसी अन्य आवधिक पेंशन के रूप में प्रदान करते हुए, वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद जहां संचित पेंशन धन:

(i) आठ लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा;

(ii) आठ लाख रुपए से अधिक है लेकिन बारह लाख रुपए से कम है, तो अभिदाता के पास एकमुश्त अधिकतम छह लाख रुपए की राशि या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा और संचित पेंशनधन की शेष राशि का उपयोग आवधिक भुगतान के रूप में कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, कोई अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या संस्था को अनुरोध प्रस्तुत करके पचासी वर्ष की आयु तक वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर सकता है और ऐसी अवधि के दौरान अभिदाता के पास किसी भी समय निकास का विकल्प उपलब्ध होगा।

बशर्ते कि जहां एक अभिदाता, वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण को स्थगित कर देता है, ऐसी वार्षिकी खरीद या एकमुश्त प्रत्याहरण से पहले मर जाता है, वार्षिकी क्रय करने या एकमुश्त राशि के प्रत्याहरण के प्रयोजन हेतु, अभिदाता की संचित पेंशन धन का भुगतान नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

बशर्ते कि, किसी सांविधिक निकाय या किसी भी निगमित निकाय या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण के अधीन अन्य संस्था के कॉर्पोरेट क्षेत्र के अभिदाता, लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर, उसका निकास विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क) द्वारा शासित होगा।

(ख) जहां कोई अभिदाता उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निकास के लिए पात्र होने से पहले, स्वेच्छा से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास का विकल्प चुनता है, तो संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन पांच लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सीमा है, तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा।

(ग) जहां किसी अभिदाता की मृत्यु निकास से पहले हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन धन का भुगतान, ऐसे अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को एकमुश्त किया जाएगा।

बशर्ते कि मृत अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) के पास आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकालने का विकल्प होगा।

परन्तु यह भी कि यदि मृत अभिदाता द्वारा उसकी मृत्यु से पहले नामांकन पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो संचित पेंशन धन का भुगतान संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक वारिस प्रमाणपत्र अथवा सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर विधिक वारिस(सों) को किया जाएगा।

(घ) यदि कोई अभिदाता शारीरिक रूप से अक्षम है या शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है, जिसके कारणवश वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने में असक्षम है, तो ऐसे मामलों में निकासी को उप-विनियम (1) के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा, जो अभिदाता के, सरकारी शल्यकार या चिकित्सक (जो अभिदाता के

इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) द्वारा प्रदान किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन होगा, जिसमें विकलांगता की प्रवृत्ति तथा सीमा वर्णित हो तथा जो ये भी प्रमाणित करता हो कि:

i) प्रभावित अभिदाता अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं है और प्रभावित अभिदाता के अपने जीवन की शेष अवधि के लिए काम करने में सक्षम न होने की वास्तविक संभावना है; और

(ii) ऐसे सरकारी सर्जन या चिकित्सक (जो अभिदाता के इस विकलांगता या निःशक्तता का इलाज कर रहा हो) के विचार से विकलांगता की प्रतिशतता पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है।

(ड) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता लेने वाले किसी व्यक्ति के मामले में, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद लेकिन पचासी वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व, निकास पर, ऐसे अभिदाता की संचित पेंशन धन का कम से कम बीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से मासिक या किसी अन्य आवधिक पेंशन के रूप में प्रदान करते हुए, वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और संचित पेंशन धन की शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन बारह लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सीमा है, तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का एकमुश्त प्रत्याहरण या आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार करने का विकल्प होगा।

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे अभिदाता की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता रहते हुए, मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता के संपूर्ण संचित पेंशन धन का भुगतान ऐसे अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को किया जाएगा।

बशर्ते कि मृत अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) के पास आवधिक भुगतान के रूप में व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन के माध्यम से या वार्षिकी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्पों के अनुसार निकलने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए -

(i) कारपोरेट क्षेत्र के अंतर्गत कोई अभिदाता लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति अथवा अधिवर्षिता पर, तब तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बना रहेगा जब तक कि निकास का कोई विकल्प नहीं अपनाया जाता।

(ii) जहां अभिदाता, उप-विनियम (1) के खंड (क) के तहत निकास के लिए पात्र होने के बाद, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का प्रत्याहरण जारी रखता है या उन्हें स्थगित करता है, वहां व्यक्तिगत पेंशन खाते के संबंध में देय व्यय, अनुरक्षण प्रभार और शुल्क, अभिदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) इस विनियम के अंतर्गत निकास पर उपलब्ध लाभ अनुसूची-1 की तालिका-2 के अंतर्गत सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किए गए हैं।

8. मुख्य विनियमों में, विनियम 4 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

"4ए. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत विशिष्ट उद्देश्य योजना के मामले में निकास और प्रत्याहरण. - इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत किसी विशिष्ट उद्देश्य योजना की सदस्यता लेने वाला व्यक्ति, उस योजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा। ऐसे दिशा-निर्देशों में प्रत्येक योजना के संबंध में योजना की विशेषताएं, निकास और प्रत्याहरण की शर्तें और अन्य आवश्यक उपबंध शामिल होंगे।

9. मुख्य विनियमों में, विनियम 5 में,

क. "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एनपीएस-लाइट या स्वावलंबन अभिदाता के रूप में पंजीकृत कोई भी अभिदाता,

यहां विनिर्दिष्ट पद्धति से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास कर सकता है, अर्थात्: - " शब्दों के साथ प्रावधान को उप-विनियम (1) के रूप में माना जाएगा।

ख. खंड (क) में, शब्द और प्रतीक ", और ऐसे उपयोजन के पश्चात्" को हटा दिया जाएगा।

ग. खंड (क) के दूसरे परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

इसमें कहा गया है, 'यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन दो लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो ऐसे अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा

घ. खंड (ख) में, शब्द और प्रतीक ", इस तरह के उपयोग के बाद" को हटा दिया जाएगा।

ङ. खंड (ख) के पहले परंतुक में, "बाहर" शब्द को हटा दिया जाएगा।

च. खंड (ख) के दूसरे परंतुक में, "एक लाख रुपए" शब्द के स्थान पर "दो लाख रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

छ. खंड (ग) में, "नामित व्यक्ति या कुटुम्ब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर " नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ज. खंड (ग) के परंतुक में, "कुटुम्ब के सदस्यों" शब्दों के स्थान पर, "विधिक वारिस(सों)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

झ. उप-विनियम (1) के खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट किया जाएगा :

"स्पष्टीकरण: इस विनियम के तहत निकास पर उपलब्ध लाभ अनुसूची I की तालिका 3 के तहत सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किये गए हैं"

10. मुख्य विनियमों में, विनियम 5 के बाद निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे: -

"5क. नागरिकता के परित्याग के मामले में निकास. - (1) जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कोई अभिदाता भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, उसके पास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या परिपत्र के अनुसार, व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करने और, संपूर्ण संचित पेंशन धन को वापस लेने का विकल्प होगा।

5ख. लापता और मृत समझे गए व्यक्ति के मामले में निकास. - (1) विनियम 3, 4, 4A और 5 के अंतर्गत शामिल अभिदाताओं, जो लापता हैं और मृत मान लिए गए हैं, के निकास को निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

(क) लापता के रूप में पहचाने गए अभिदाता के नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, संचित पेंशन धन के बीस प्रतिशत को एकमुश्त अंतरिम राहत के रूप में भुगतान किये जाने का अधिकार होगा, और शेष अस्सी प्रतिशत निवेशित रहेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभिदाता के लापता और मृत माने जाने के निर्धारण के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

(ख) ऐसी अंतरिम राहत जारी करने के प्रयोजन के लिए, नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) को , जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को संबंधित पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रति तथा पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अभिदाता का पता न चलने संबंधी पुलिस रिपोर्ट,, इसके साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड भी प्रस्तुत करना होगा, जिसके अंतर्गत यह उपबंध होगा कि इस प्रकार प्रदान की गई अंतरिम राहत के संबंध में न तो ऐसा न्यास और न ही कोई अन्य संस्था या प्राधिकरण, अभिदाता या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ग) जहां नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) द्वारा, जैसा भी मामला हो, सक्षम न्यायालय से एक आदेश प्रस्तुत करता है जिसमें यह घोषणा की जाती है कि लापता अभिदाता को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार मृत माना जाता है, संचित पेंशन धन का शेष अस्सी प्रतिशत का निपटान, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के

खंड (ग) या विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) या विनियम 5 के उप-विनियम (1) के खंड (ग), या विशिष्ट उद्देश्य योजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि, जहां अभिदाता जिसके लापता होने की सूचना दी गई थी, बाद में सक्षम न्यायालय द्वारा उसके मृत होने की घोषणा से पहले जीवित होने की सूचना दी जाती है, ऐसी स्थिति में अभिदाता का व्यक्तिगत पेंशन खाता सभी प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा और संचित पेंशन धन का बीस प्रतिशत जो उसके नामित व्यक्ति(यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान किया गया था, जैसा भी मामला हो, अभिदाता को उसके निकास के समय किए जाने वाले एकमुश्त प्रत्याहरण भुगतान से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: सरकारी क्षेत्र के अभिदाता के मामले में, लापता व्यक्ति के रूप में पहचान या जीवित होने की सूचना, नोडल कार्यालय या नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के आधार पर की जाएगी, और गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाता के मामले में, यह पहचान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा की जाएगी।

11. मुख्य विनियमों के विनियम 6 में,

(क) अनुच्छेद "एक अभिदाता" के लिए..... उपबंध, अर्थात्:-, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत कोई अभिदाता उससे निकास नहीं करेगा, और संचित पेंशन धन से कोई भी प्रत्याहरण विनियम 3, 4, 4क, 5, 5क और 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति के अतिरिक्त अनुमत नहीं होगी; तथा आगे इन प्रावधानों में उल्लिखित हैं, अर्थात्: -"

(ख) उप-विनियम (1) के खंड (क) में, "स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के टियर-1 खाते में कोई पेंशन या संचित पेंशन धन नहीं" शब्दों के स्थान पर, "उप-विनियम (ख) के प्रावधानों के अध्येधीन, व्यक्तिगत पेंशन खाते में कोई पेंशन या संचित पेंशन धन नहीं" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप-विनियम (1) के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ख) अभिदाता को विनियम 8 के तहत अनुमत सीमा तक विनियमित वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा और जिसके उद्देश्य के लिए, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ के संबंध में ऋणदाता के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई समनुदेशन, गिरवी, संविदा, आदेश, विक्रय या प्रतिभूति सृजित कर सकता है। ऋणदाता, विनियम 8 के अंतर्गत अनुमत सीमा तक व्यक्तिगत पेंशन खाते पर ग्रहणाधिकार या प्रभार अंकित कर सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या परिपत्र के अनुसार प्राप्त अनुरोध के संबंध में ऐसी सुविधा की अनुमति देगा।"

(घ) खंड (ड) में, "कॉर्पस" शब्द के स्थान पर सर्वत्र, "धन" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ङ) खंड (झ) को हटा दिया जाएगा।

(च) खंड (ज) में, "कॉर्पस" शब्द के स्थान पर, "धन" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा; "कुटुम्ब के सदस्यों" शब्द के स्थान पर, "विधिक वारिस(सों)" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

12. मुख्य विनियमों में, विनियम 7 के उप-विनियम (1) में,

(क) "प्रत्याहरण करना" शब्दों के स्थान पर, "प्राप्त करना" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) "निकास पर" शब्द हटा दिए जाएंगे।

13. मुख्य विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (1) में,

(क) शब्द "अभिदाता की संचित पेंशन धन की, जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को छोड़कर, यदि कोई हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास से पहले किसी भी समय," निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अभिदाता की संचित पेंशन धन से, अभिदाता द्वारा किए गए स्वयं के अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं,"

(ख) खंड (क) में, शब्द और प्रतीक "ऐसे अभिदाता द्वारा अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में किए गए अंशदान में से, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं" को हटा दिया जाएगा।

(ग) खंड (क) के उप-खंड (ग) में, "एकमुश्त प्रत्याहरण" शब्द "अपने स्वयं के नाम से या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से कोई निवास स्थान (मकान) या फ्लैट क्रय करने या उसके सन्निर्माण के लिए" शब्दों से पहले अन्तर्विष्ट किया जाएगा।

(घ) खंड (क) के उप-खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(घ) स्वयं या विधिक रूप से विवाहित पति या पत्नी, बच्चों जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक बच्चे भी हैं या माता-पिता के चिकित्सा उपचार या अस्पताल में भर्ती होने के लिए।"

(ङ) खंड (क) के उपखंड (च) और (छ) को हटा दिया जाएगा।

(च) खंड (क) के उप-खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित नया उप-खंड अन्तर्विष्ट किया जाएगा:

"(ज) ग्रहणाधिकार या व्यक्तिगत पेंशन खाते पर अंकित प्रभार के विरुद्ध, एक विनियमित वित्तीय संस्थान से एक अभिदाता द्वारा लिए गए वित्तीय दायित्व के निपटान के लिए।"

(छ) खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(ग) आवृत्ति: उप-विनियम (1) के अध्यक्षीन,

(क) अभिदाता को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता से पूर्व, जो भी बाद में हो, अधिकतम चार बार तक प्रत्याहरण करने की अनुमति होगी, तथा क्रमिक प्रत्याहरण के बीच न्यूनतम चार वर्ष का अंतराल होगा।

(ख) ऐसा अभिदाता, जो साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अथवा सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पश्चात्, जो भी बाद में हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बना रहता है, उसे व्यक्तिगत पेंशन खाते से आंशिक प्रत्याहरण करने पात्रता होगी, जिसमें क्रमिक प्रत्याहरण के बीच न्यूनतम तीन वर्ष का अंतराल होगा, जिसकी राशि पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

(i) अंशदान, यदि केवल एक अंशदान स्रोत है, या

(ii) एक से अधिक अंशदान स्रोत होने की स्थिति में स्वयं का अंशदान।

14. मुख्य विनियमों में, विनियम 8 में, उप-विनियम (2) में,

(क) शब्द और प्रतीक "टियर-II खाते के मामले में:" शब्दों और प्रतीक "(i) एक वैध अभिदाता के साथ" के पहले अन्तर्विष्ट किया जाएगा।

(ख) खंड (i) में, "स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के हो सकते हैं" शब्दों के स्थान पर, शब्द "हो सकता है" प्रतिस्थापित किया जाएगा। "संचित पेंशन धन" शब्दों के स्थान पर, "संचित धन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) खंड (iii) में, शब्द और प्रतीक "एक व्यक्तिगत पेंशन खाते के संबंध में खोला गया," "टियर-II खाता" शब्दों के बाद और "स्वतः ही बंद हो जाएगा" से पहले अन्तर्विष्ट किया जाएगा। "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की निकासी के समय" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे व्यक्तिगत पेंशन खाते से निकास और समापन होने पर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. मुख्य विनियमों के विनियम 32 में,

(क) "भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और उसमें हुए संशोधन" शब्दों को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023" द्वारा

प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) जहाँ भी शब्द "आश्रित" प्रयुक्त हुआ है, उसे हटा दिया जाएगा।

16. विनियम 39 के बाद, अनुसूची I को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

"अनुसूची I

[विनियम 3, 4 और 5 देखें]

तालिका 1 - सरकारी क्षेत्र

निकास परिदृश्य/घटना	निकास के समय संचित पेंशन धन (₹)	संचित पेंशन धन का उपयोग		
		एकमुश्त राशि (संपूर्ण एकमुश्त या व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या अन्य अनुमोदित विकल्पों के अनुसार)	कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन	वार्षिकी
विनियम 3(1)(क) के अनुसार सेवानिवृत्ति पर (या) विनियम 3(1)(घ) के अनुसार सेवामुक्त होने पर	≤ 8 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		60% तक	लागू नहीं	कम से कम 40%
	> 8 लाख ≤ 12 लाख	₹6 लाख तक	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि	लागू नहीं
		अथवा		
		₹6 लाख तक	लागू नहीं	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि
> 12 लाख)	अथवा			
	60% तक	लागू नहीं	कम से कम 40%	
	60% तक	लागू नहीं	कम से कम 40%	
विनियम 3 (1) (ख) के अनुसार इस्तीफे/सेवा से हटाए जाने पर	≤ 5 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
	> 5 लाख	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
विनियम 3(1)(ग) के अनुसार मृत्यु पर	≤ 8 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
		20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
	> 8 लाख ≤ 12 लाख	₹6 लाख तक	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि	लागू नहीं
		अथवा		
		₹6 लाख तक	लागू नहीं	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि
> 12 लाख	अथवा			
	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%	
	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%	

तालिका 2 - गैर-सरकारी क्षेत्र

निकास परिदृश्य/घटना	निकास के समय संचित पेंशन धन (₹)	संचित पेंशन धन का उपयोग		
		एकमुश्त राशि (संपूर्ण एकमुश्त या व्यवस्थित एकमुश्त प्रत्याहरण या व्यवस्थित इकाई आधिमोचन या अन्य अनुमोदित विकल्पों के अनुसार)	कम से कम छह वर्षों के लिए व्यवस्थित इकाई आधिमोचन	वार्षिकी
सदस्यता के 15 साल \geq पर, या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या विनियम 4 (1) (क) के अनुसार सेवानिवृत्ति पर (या) विनियम 4(1)(घ) के अनुसार शारीरिक अक्षमता पर	≤ 8 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
	> 8 लाख ≤ 12 लाख	लागू नहीं	100%	लागू नहीं
		₹6 लाख तक	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि	लागू नहीं
		अथवा		
		₹6 लाख तक	लागू नहीं	एकमुश्त राशि के बाद शेष राशि
> 12 लाख	80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%	
	80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%	
विनियम 4(1)(b) के अनुसार स्वैच्छिक निकास पर	≤ 5 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
	> 5 लाख	20% तक	लागू नहीं	कम से कम 80%
विनियम 4(1)(ग) के अनुसार मृत्यु पर	कोई भी संचित पेंशन धन	100% तक	लागू नहीं	100% तक
विनियम 4(1)(ड) के अनुसार 60 साल होने पर या उसके बाद शामिल होने वाले व्यक्तियों द्वारा निकास	≤ 12 लाख	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
		अथवा		
	> 12 लाख	80% तक	लागू नहीं	कम से कम 20%
विनियम 4 (1) (ड) के अनुसार 60 साल होने पर या उसके बाद शामिल होने वाले व्यक्तियों की मृत्यु पर	कोई भी संचित पेंशन धन	100% तक	लागू नहीं	100% तक

तालिका 3 - एनपीएस-लाइट स्वावलंबन

निकास परिदृश्य/घटना	निकास के समय संचित पेंशन धन (₹)	संचित पेंशन धन का उपयोग	
		एकमुश्त राशि (संपूर्ण एकमुश्त)	वार्षिकी
विनियम 5(1)(क) के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर	≤ 2 लाख	100%	लागू नहीं
		अथवा	
		60% तक	कम से कम 40%
	> 2 लाख	60% तक	कम से कम 40%
विनियम 5 (1) (ख) के अनुसार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले	≤ 2 लाख	100%	लागू नहीं
		अथवा	
		20% तक	कम से कम 80%
	> 2 लाख	20% तक	कम से कम 80%
विनियम 5(1)(ग) के अनुसार मृत्यु पर	कोई भी संचित पेंशन धन	100% तक	100% तक

शिवसुब्रमणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./544/2025-26]

नोट:

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 को दिनांक 11 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था। पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8; और अंतिम बार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे दिनांक 23 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2025

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. PFRDA/16/14/06/0009/2018-REG-EXIT.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) read with clauses (g), (h), and (i) of sub-section (2) thereof, the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, namely: -

- These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025.
- These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 1,
 - in para under sub-regulation (1), the words "and purchase an annuity thereupon" shall be deleted.
 - after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -